प्रेस विज्ञप्ति
31.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बाइकबोट घोटाला मामले में **394.42 करोड़ रुपये** से अधिक मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीमती मीना आनंद के नाम पर थीं।

जीआईपीएल और उसके प्रमोटर संजय भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बाइकबोट नाम से बाइक टैक्सी सेवा की आड़ में बेहद आकर्षक निवेश योजनाएँ प्रारंभ की थीं, जिसके तहत ग्राहक 1, 3, 5 या 7 बाइक में निवेश कर सकता था, जिनका रखरखाव और संचालन कंपनी द्वारा किया जाता और निवेशक को मासिक किराया, ईएमआई और बोनस (एक से ज़्यादा बाइक में निवेश करने पर) दिया जाता और बाइनरी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) संरचना में अतिरिक्त निवेशक जोड़ने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता। कंपनी ने कई शहरों में फ्रैंचाइज़ी भी आवंटित कीं, लेकिन इन शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन नगण्य रहा।

ईडी की जाँच से पता चला है कि बाइकबोट घोटाले में जुटाई गई धनराशि को विभिन्न संबंधित कंपनियों में डायवर्ट किया गया और बाद में शैक्षणिक ट्रस्टों, सोसाइटियों और व्यक्तियों के माध्यम से छुपाया गया। इस डायवर्ट की गई धनराशि का उपयोग मेरठ में अचल संपत्तियाँ खरीदने और बैंकों से पहले से गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने में किया गया।

वर्तमान कुर्की में अचल संपत्तियां और 20.49 करोड़ रुपये मूल्य की मुक्त की गई बंधक भूमि शामिल है, जिसका मूल्य अपराध के समय 389.30 करोड़ रुपये था, इसके साथ 5.12 करोड़ रुपये की सावधि जमा भी शामिल है।

ईडी ने इससे पहले 20/07/2020, 04/10/2021 और 10/05/2024 को जारी 3 अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 220.78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष 27 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत और तीन पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन की सभी शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। ईडी ने इससे पहले 20/12/2020 और 20/07/2023 को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और डिजिटल साक्ष्यों सहित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए थे।

आगे की जांच जारी है।